

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

314



तारीख..... तक

आदेश पत्रक

जिला:- पटना सन्

केश का प्रकार दा० खा० वाद सं०..... ⁶² / ²⁰¹³⁻¹⁴ सन् ~~2013-14~~

2

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित												
08/4/13	<p>श्री रमेश कुमार वल्द - श्री रंजन कुमार सिंह ग्राम प्रसादी कृषि पो. थाना अरवल, जिला अरवल, केवाला नं० 1406 दिनांक 18/2/12 के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table border="0"> <tr> <td>मौजा</td> <td>थाना नं०</td> <td>खाता नं०</td> <td>खेसरा</td> <td>एराजी</td> <td>लगान</td> </tr> <tr> <td>जमसौर</td> <td>30</td> <td>232</td> <td>2406</td> <td>१५ कठ्ठा</td> <td>0.50</td> </tr> </table>	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान	जमसौर	30	232	2406	१५ कठ्ठा	0.50	<p>15 06</p>
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान									
जमसौर	30	232	2406	१५ कठ्ठा	0.50									
<p>Can-912 15/4/13</p>	<p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 15/4/13 को रखें। लेखापित एवं संशोधित।</p>													
<p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>	<p align="right"> अंचल अधिकारी दानापुर</p>													
15/4/13	<p>नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की दी जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें।</p>													
<p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>	<p align="right"> अंचल अधिकारी दानापुर</p>													